भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 935
उत्तर देने की तारीख 10.02.2025

सेवा भोज योजना के अंतर्गत लाभान्वित धार्मिक संस्थान

935. श्री अरुण भारती :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार सेवा भोज योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए चैरिटेबल और धार्मिक संस्थानों की संख्या सहित इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सेवा भोज योजना सहायता प्राप्त पहलों के अंतर्गत प्रदान किए गए नि:शुल्क भोजन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत आवेदन और प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा तंत्र मौजूद है;

(घ) देश भर में चैरिटेबल और धार्मिक संगठनों के बीच सेवा भोज योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि उपरोक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थी संगठनों में सभी धर्मों और समुदायों का समान प्रतिनिधित्व हो; और

(च) क्या सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शीघ्र प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत अगस्त, 2018 में की गई थी। सेवा भोज योजना के अंतर्गत, पात्र धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा एक कैलेंडर माह में कम से

कम 5000 लोगों को नि:शुल्क भोजन वितरित करने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर भुगतान किए गए केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) की केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति, इन संगठनों को भारत सरकार द्वारा संबंधित जीएसटी प्राधिकरण के माध्यम से की जाती है। जनवरी, 2025 तक की स्थिति के अनुसार सेवा भोज योजना के तहत लाभान्वित धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर संलग्न है।

(ख): सेवा भोज योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के सीएसएमएस पोर्टल पर नामांकन हेतु इन संस्थाओं के लिए जिला मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपेक्षित है, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वह धर्मार्थ/धार्मिक संस्था धर्मार्थ/धार्मिक कार्यकलापों में कार्यरत है और कम से कम विगत तीन वर्षों से दैनिक/मासिक आधार पर जनता/श्रद्धालुओं आदि को नि:शुल्क भोजन वितरित कर रही है। तथापि, मंत्रालय द्वारा धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं से सेवा भोज योजना के तहत ऊपर क्रम संख्या (क) में उल्लिखित अनुसार प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करते समय नि:शुल्क भोजन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित व्यक्तियों के विवरण की मांग नहीं की जाती है।

(ग): सेवा भोज योजना के अंतर्गत, जनता को नि:शुल्क भोजन वितरित करने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर पात्र धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और केन्द्र सरकार की एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति इन संगठनों को भारत सरकार द्वारा संबंधित जीएसटी प्राधिकरण के माध्यम से की जाती है। सेवा भोज योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:-

(i) नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत, धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाएं संस्कृति मंत्रालय के सीएसएमएस पोर्टल पर नामांकन करती हैं और अपना आवेदन जमा करती हैं।

(ii) संस्कृति मंत्रालय के साथ नामांकन के उपरांत, आवेदक संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल केंद्रीय कर अधिकारी को अपना आवेदन जमा करते हैं।

(iii) आवेदन और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर नोडल केंद्रीय कर अधिकारी एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी करता है।

(iv) इसके बाद, संबंधित जीएसटी प्राधिकरण केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को पात्र धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों के संबंध में उनके द्वारा सत्यापित और पारित दावों को मंत्रालय के पास भेजता है ताकि उन्हें जारी किया जा सके।

(v) मंत्रालय संबंधित जीएसटी प्राधिकरण को धनराशि प्रदान करता है जो आगे इन धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों को इस धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है।

(घ) और (ड.) : मंत्रालय सेवा भोज योजना सहित सभी स्कीमों को बढ़ावा देने और विभिन्न प्लेटफार्मों यथा मंत्रालय की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है ताकि स्कीम का लाभ देश भर में स्थित पात्र धर्मार्थ/धार्मिक संगठनों तक पहुंचे और योजना के लाभार्थियों के रूप में सभी धर्मों और समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

(च): उपरोक्त क्रम संख्या (ग) में यथाउल्लिखित आवेदन और प्रतिपूर्ति प्रक्रिया पहले से ही पात्र धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को सुगम और शीघ्र प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करती है।

******

अनुलग्नक

'सेवा भोज योजना' के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 935 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	संगठनों के नाम	राज्य	जारी की गई निधि
1.	2019-2020	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), अमृतसर	पंजाब	171.00
		तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति	आंध्र प्रदेश	19.63
		श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम न्यास, तिरुपति		5.27
2.	2020-2021	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	159.39
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना		1.22
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		8.84
3.	2021-2022	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	149.83
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना		0.28
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		4.81
4.	2022-2023	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	140.44
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना		0.80
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		1.76
5.	2023-2024	सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	142.12
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		3.88

*****